

प्रारूप-5

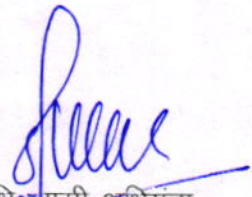
परियोजना का नाम— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

प्रमाण— पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश सं० 790/111-2/08-34 (प्रा०आ०)/07 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा रू० 264.00 लाख मात्र हेतु प्राप्त है। (स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है)


अधिकांशी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला

1034

(5)

संख्या- 790 / 111(2) / 08-34 (प्रा. 02)

/ 07

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

निष्ठा / प्रदीप सिंह रावत / डा. 97

VJH/08/03

मु.अ. 0. 5. 2. 1.
लो. नि. 0. 5. 2. 1.

श्रीमती बि. 02
24/03/08

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 20 मार्च 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में 05 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के लिए।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार कराये गये 05 (पाँच) कार्यों के लागत कुल रुपये 947.51 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 931.10 लाख (रुपये नौ करोड़ इकत्तीस लाख मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 में अंकित वि. कुल रु. 0.50 लाख (रु. पचास हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं तत् विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तभी कार्य प्रारम्भ किया जाय।

Photo copy attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. 0. 5. 2. 1.

(5)

(8) (11)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमानित लागत	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय की स्वीकृति
1-	जनपद पौड़ी गढ़वाल में देहलचौरी-पौड़ी हल्का बाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुये पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य।	12.50	337.50	337.50	0.10
2-	जनपद देहरादून, ग्राम हरववंशाला में सीमाद्वार से ऋषिवाणी आश्रम तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण।	1.500	92.43	81.02	0.10
3-	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र 'धनसाली' के अन्तर्गत चमियाला-इन्दवाणगांव-कागंडा मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	162.00	162.00	0.10
4-	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में भियाँगाड से कुनारा तक मोटर मार्ग निर्माण।	12.00	264.00	264.00	0.10
5-	जनपद उत्तरकाशी में ब्लाक मोरी में 50 से 200 आयारी के बस्तावटों को जोड़ने हेतु गदरासू रमाल गांव मोटर मार्ग के किमी० 1 में 48 मी० स्थान का स्थला गडर मोटर सेतु तथा किमी० 3 से नितुशा ग्राम तक पैदल मार्ग का निर्माण।		91.58	86.58	0.10
योग:-			947.51	931.10	0.50

(रुपये पचास हजार में)

प्रतिनिधि अभियन्ता

29 मार्च 2008

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रमाणित

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

मं. वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून

0325/2024/क/नं. 12-25/03/08
प्रतिनिधि निम्नलिखित को प्रचारार्थ एवं आवेदनार्थ कार्यवाही

1/मार्च
2/अप्रैल
3/मई

मुख्य अभियन्ता, गण्डेश्वर लोकनिर्माण पौड़ी,
अधीक्षण अभियन्ता 6/8/9/12वां इलाका लोक-नि.

उत्तरकाशी / रिहरी / देहरादून / पौड़ी

उप सचिव / प्रतिनिधि कार्य

प्रमाणित

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोकनिर्माण

24/03
मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने वाले प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ वित्तीय आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो शेष राशि को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
14. आगणी किस्त तब ही अनुमोदन की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जाय। वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के उपयोग के अन्तर्गत ही आगणी किस्त अनुमोदन की जायेगी।
15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किसी अन्य बजट से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका वित्त शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग अनुभाग संख्या-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क आयोजनागत-000-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-पूरा निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-362/XXVII(2)/20 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। संलग्नक-48 कार्यों की सूची।

भवदीय
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/111(2)/08-29(पाआ0)/07, तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवरस मोटर्स बिल्डिंग, गाजरा, देहरादून।
2. आयुक्त मंडल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, मंडल/कुमाऊँ क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोडा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
पौड़ी, उत्तरकाशी

का द्वारा

लोक निर्माण विभाग
देहरादून

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

दिनांक 25/3/08
प्रति:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
(1) मुख्य अभियन्ता, मंडल/कुमाऊँ क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोडा
(2) आयुक्त मंडल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल
(3) समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी
(4) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून
(5) वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
(6) लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक

25/3/08

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टैण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-253/XXVII(2)/2008 दिनांक 17 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 05 कार्यों की सूची।

भवदीय,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/111(2)/08-34(प्रौ.आ.0)/07तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल/पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

Photo copy
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
पुरोला, उत्तरकाशी

आज्ञा से.